मा· 82855
3148 (3) 3000
96

नम्बर रसीद संख्या..................

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद) 11.6.12

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम

2. लेख्य-पत्र की किस्म [illegible]

3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई 4 लाख .. .. ..

4. प्रतिफल की रकम .. .. .. रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री 830

(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ..

(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस .. 300

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 500 415

ग. विविध फीस : 470 1145

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस ..

(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस .. .. ..

(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता ..

(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस ..

(6) संरक्षण फीस .. .. ..

(7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस ..

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ..

(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

[illegible] योग फीस 2690

फीस के प्राप्त होने की तारीख 11.6.12 .. .. ..

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख 11.6.12 .. ..

[signature]

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु. सत्यमेव जयते INDIA 00

राजस्थान RAJASTHAN

C 164566

।। श्री गणेशाय नमः ।।

बैयनामा मा :– 80000/–रू.

स्टाम्प डियुटी :– 3000/–रू.

नाम विक्रेता :– सत्यनारायण पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी – पल्लू त. रावतसर जिला हनुमानगढ़

नाम क्रेता :– अम्बिका शिक्षा समिति पल्लू रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक 95/ हनुमानगढ/2011–12 जरिये सचिव देवकीनन्दन पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण नि. पल्लू त. रावतसर जिला – हनुमानगढ़

भुमि विवरण : रोही मौजा पल्लू के खाता सख्या 189 के ख. न.28/1 की 10.7 बिघा ख. न. 37/1 की 19. 9 बिघा ख. न. 536/1 की 20.6 बिघा कुल तीन कितो में 50 बिघा 2 बिस्वा मे से 3 बिघा 4 बिस्वा बारानी कृषि भुमि ।

लगातार 2 पर

1000X 3 = 3000/-

अनिल कुमार मुद्रांक विक्रेता (155/11) रावतसर (हनु.)
रजि.क्र.सं. 101 दि. 11/06/12 मुद्रांक वेल्यू/क्र.सं.....
नाम .... लक्ष्मणनारायण ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी .... गोपालराम
जाति ब्राह्मण .... पल्लू ....
प्रयोजन बैनामा .... स्वयं
क्रेता के हस्ताक्षर .... मुद्रांक विक्रेता हस्ताक्षर

रसीद नं० 96/3148 दि० 11.6.12
पंजीयन शुल्क 830
प्रतिलिपि शुल्क 300
अन्य शुल्क 415
अति० मु० कर 1145

कुल योग 2690

उप पंजीयक पल्लू
जिला हनुमानगढ़

आज दिनांक 11.6.12 ... से ...
... के मध्य वार सोमवार को उपपंजीयक पल्लू
के कार्यालय में श्री लक्ष्मणनारायण पुत्र रामगोपाल
आयु ... जाति ब्राह्मण निवासी पल्लू
तहसील रावत ... जिला H.MH
राज्य ... में पेश किया।
उपपंजीयक पल्लू
जिला हनुमानगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN C 164567

मै सत्यनारायण पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी – पल्लू त. रावतसर जिला हनुमानगढ़ हुं ।

जो कि मुझ मिकर के नाम से रोही मौजा पल्लू के खाता सख्या 189 के ख. न.28/1 की 10.7 बिघा, ख. न. 37/1 की 19. 9 बिघा , ख. न. 536/1 की 20.6 बिघा कुल तीन कितो में 50 बिघा 2 बिस्वा बारानी कृषि भूमि कागजात पटवार सरकार दर्ज है । आज से पहले इस भूमि पर किसी प्रकार का विवाद या स्थग्न आदेश नही है। और ना ही किसी बैक व अन्य के रहन है। मुझ मिकर को रूपयो की सख्त जरूरत है। इसलिऐ मै स्वयं रोही मौजा पल्लू के खाता सख्या 189 के ख. न.28/1 की 10.7 बिघा ख. न. 37/1 की 19. 9 बिघा ख. न. 536/1 की 20.6 बिघा कुल तीन कितो में 50 बिघा 2 बिस्वा मे से 3 बिघा 4 बिस्वा बारानी कृषि भूमि को अम्बिका शिक्षा समिति पल्लू रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक 95/ हनुमानगढ/2011–12 जरिये सचिव देवकीनन्दन पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण नि. पल्लू त. रावतसर जिला – हनुमानगढ़ को बिलमुक्ता 80000/– रू. अखरे अस्सी हजार रुपये में बैय कर दिया है। समस्त रकम पुर्व में नगद प्राप्त कर ली है अब किसी प्रकार का लेना बकाया नही रहा है बैय शुदा भूमि नगर पालिका सीमा से बाहर है। अब क्रेता खरीद शुदा भूमि को अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा सकेगा और भूमि में पानी बिजली आदि के कनेक्शन अपने नाम से ले सकेगा ।

लगातार 3 पर

अनिल कुमार मुद्रांक विक्रेता (155/11) रावतसर (हनु.)
रजि.क्र.सं. 101 दि. 11/06/12 मुद्रांक वेल्यू/क्र.सं. ......
नाम सत्यनारायण
पुत्र/पुत्री गोपालराम
जाति ब्राह्मण पल्लू
प्रयोजन बैयनामा ... पता 2,000
क्रेता के ह./अंगूठा [signature] मुद्रांक विक्रेता हस्ताक्षर
[signature]

सत्यनारायण पुत्र श्री रा.म. गोपाल
ब्राह्मण निवासी पल्लू
तहसील रि.सर जिला H.MG
को इबारत दस्तावेज बैयनामा पढ़कर सुनाई
व समझाई जो सुन समझकर निष्पादन
स्वीकार किया तथा प्रतिफल [signature]
उपपंजीयक पल्लू
जिला हनुमानगढ़

[signature]

पेज

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN C 164568

MAY 2012

अतः यह बैयनामा आज दिन राजी रजा होश हवास बिना किसी नशा पता बिना दबाब के तहरीर कर दिया है कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें । केता का मुलनिवास पहचान पत्र व 1980 की वोटरलिस्ट सलग्न है।

अलहद

विकेता के हस्ताक्षर

केता हस्ताक्षर

गवाह–1
ओमप्रकाश पुत्र श्री केदारमल
जाति शर्मा सा. बिसरासर त. रावतसर
जि. हनुमानगढ़

गवाह –2
सतपालसिंह पुत्र श्री आसूसिंह
जाति राजपूत सा. पल्लू
त. रावतसर जि. हनुमानगढ़

अनिल कुमार ... सिहाग (155/11) रावतसर (हनु.)
रजि.क्र.सं. 10 ... 11 06/12 मुद्रांक वेल्यू/क्र.सं. ....
नाम ... सत्यनारायण ...
पुत्र/... गोपालराम
जाति ... ब्राह्मण ... पल्लू ...
प्रयोजन बेचननामा ... स्वयं
क्रेता के ह./अंगुठा ... मुद्रा विक्रेता हस्ताक्षर

उक्त निष्पादन कर्ता/कर्ताओं की पहचान
श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री केदारमल
जाति ब्राह्मण निवासी बिरकाली
तहसील रि.बड़ जिला H.MH राज्य
श्री महीपाल सिंह पुत्र श्री आसूसिंह
जाति राजपूत निवासी पल्लू
तहसील रि.बड़ जिला H.MH राज्य
ने की
उप पंजीयक पल्लू
जिला हनुमानगढ़

Satpal Singh

आज दिनांक 11 माह 6
सन 12 को ... संख्या 1 की जिल्द
... 48 के पृष्ठ ... 155 के क्रम
1088 पर ...
1
66 ... पृष्ठ संख्या 76
79 ... प्रस्तुत किया गया
उपपंजीयक
जिला ...

...यम 1908 के तहत धारा 32 ए के तहत फिंगर प्रिन्टस

	...ता / विक्रेता	नाम	निशानी				
			अगुठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनि...
1.		सत्यनारायण					
2.	क्रेता	अभिबका शिक्षा समिति					
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

शामिल रहे

उप पंजीयक
पल्लू (हनुमानगढ़)

फार्म — ब

[illegible] (3), (4) और (6)]

कार्यालय [illegible] हनुमानगढ़

दिनांक :— [illegible] अगस्त, 2013

आवे[illegible] सचिव [illegible] नन्दन पुत्र [illegible] हनुमानगढ़ के आवेदन पर [illegible] रावतसर जिला हनुमानगढ़ में [illegible] में कृषि भूमि का अकृषिक [illegible] अधीन अकृषि प्रयोजन शिक्षण [illegible] तहसीलदार रावतसर तथा सहायक [illegible] प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर [illegible] निम्नानुसार है :—

[illegible] समिति पल्लू जरिये सचिव [illegible] पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण [illegible] तहसील रावतसर जिला [illegible]

2 क्या आवे[illegible] [illegible] पंचायत पल्लू तहसील रावतसर अनुसूचित [illegible] सपरिवर्ति[illegible] [illegible]गढ़।

3 [illegible] [illegible] नम्बर 28/1 की 0.810 हैक्टर (8100 वर्गमीटर)

(क) [illegible] [illegible] का खसरा और [illegible] का क्षेत्रफल (हैक्टर/ [illegible] मीटर में)

(ख) [illegible] ग्राम पल्लू ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। खसरा नम्बर 28/1 की 0.810 हैक्टर (8100 वर्गमीटर)

(ग) [illegible] खसरा के क्षेत्रफल को [illegible] सपरिवर्तन करते [illegible] हैक्टर/वर्गमीटर में) — शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ।

4. सपरिवर्तन [illegible] :— 5/— रूपये प्रति वर्गमीटर।

[illegible] नियम की दर :— चालान संख्या दिनांक रूपये

[illegible] तारीख सहित 195 17.06.2013 40,500/—

[illegible] जमा कराई गई रकम :— शुन्य नहीं

फार्म – ब

{देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)}

कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक :– एफ.12(3)(37)राज / 13 / दिनांक :– – अगस्त, 2013

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक अम्बिका शिक्षा समिति पल्लू जरिये सचिव देवकी नन्दन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण साकिन पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ के आवेदन पर उनकी खातेदारी भूमि ग्राम पल्लू ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार रावतसर, तथा सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उप खण्ड रावतसर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता :–	अम्बिका शिक्षा समिति पल्लू जरिये सचिव देवकी नन्दन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण साकिन पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य हैं :–	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–	
	(क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :–	ग्राम पल्लू ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
	(ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर/ वर्गमीटर में) :–	खसरा नम्बर 28 / 1 की 0.810 हैक्टर (8100 वर्गमीटर)
	(ग) प्रत्येक खसरा के क्षैत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षैत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में) :–	ग्राम पल्लू ग्राम पंचायत पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। खसरा नम्बर 28 / 1 की 0.810 हैक्टर (8100 वर्गमीटर)
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन :–	शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ।
5.	संदेय प्रीमियम की दर :–	5 / – रूपये प्रति वर्गमीटर।
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :–	चालान संख्या 195, दिनांक 17.06.2013, रूपये 40,500 / –

7. चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :– शुन्य

8. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :– नहीं

9. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :– – –

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

(i) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

लगातार 2

(ii) यदि संस्था इस आदेश को जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और संस्था द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(iii) नियम – 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(v) शिक्षण संस्थान का निर्माण राष्ट्रीय सडक कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित सड़क सीमा के पश्चात् किया जाएगा, भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जानें के दौरान यदि सड़क सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे संस्था को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा संस्था द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जावेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु संस्था बाध्य होगी।

(vii) उपरोक्त सभी शर्तो की पालना संस्था द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी। जिसके लिये संस्था व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगी।

–ह.–
(पी.सी. किशन)
जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

Disst. Collector & Megistrate Hanumangarh

Seal of the Prescribed Authority

क्रमांक :– एफ.12(3)(37)राज/13/5151-56 दिनांक :– 2– अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश में वर्णित सम्परिवर्तित रकबा की पानी की बारी कटवाये जाने हेतु सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें।
2. तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को उनके पत्रांक रूपान्तरण / 013 / 1090 दिनांक 24.06.2013 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त सपरिवर्तन आदेश का राजस्व अभिलेख मे नियमानुसार अंकन करना सुनिश्चित करें।
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उप–खण्ड रावतसर को उनके पत्र क्रमांक 123 दिनांक 25.06.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4. ग्राम सेवक एवम् पदेन सचिव ग्राम पंचायत पल्लू पंचायत समिति रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
5. आवेदक अम्बिका शिक्षा समिति पल्लू जरिये सचिव देवकी नन्दन पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण साकिन पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
6. रक्षित पत्रावली।

(बी.एल. मेहरड़ा)
अति.जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़